

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 91/23

तारीख दायर 8/5/23

- 1- छीतर पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों कलां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- रामनारायण पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों कलां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- शंकर पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों कलां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- राजु बाई पत्नि प्रकाश जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- शांति पत्नि जीतमल जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- अनिल कुमार पुत्र शंभुलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी देवगढ़, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी पापडबड़, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 5- जगदीश चन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी चान्द जी की खेडी, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक 10/5/23

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री छीतर, रामनारायण, शंकर ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 100 पर आराजी संख्या 576 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, आराजी संख्या 577 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, आराजी नंबर 578 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.5215 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 100 पर आराजी संख्या 576 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, आराजी संख्या 577 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, आराजी नंबर 578 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.5215 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 91/23

तारीख दायर 8/5/23

प्रेषित :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 91/23 प्रत्थरगढी बाबत।

- 1- छीतर पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2- रामनारायण पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3- शंकर पुत्र गोर्धन जाति कोली, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—प्रार्थीगण

- बनाम्
- 1- राजु बाई पत्नि प्रकाश जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
 - 2- शांति पत्नि जीतमल जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
 - 3- अनिल कुमार पुत्र शंभुलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी देवगढ़, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
 - 4- अनिल कुमार पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी पापडबड़, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
 - 5- जगदीश चन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी चान्द जी की खेडी, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे खाता संख्या 100 पर आराजी संख्या 576 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, आराजी संख्या 577 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, आराजी नंबर 578 रकबा 0.4532 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.5215 हैक्टेयर भुमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा